संख्या-83/2026/I/1462423/2026/001/71-2099-43-2023

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक-14-09-2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में सी0बी0एम0आर0, लखनऊ हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान (सामान्य) गैर वेतन मद में द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सी0बी0एम0आर0/एफ0एण्ड0ए0/2026-27/554/19, दिनांक 14.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान (सामान्य) गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 250.00 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि पत्र संख्या-62/2026/I/1302080/2026/001-71-2099-43-2023, दिनांक 20 अप्रैल, 2026 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रू0 250.00 लाख अवमुक्त की गयी है तथा धनराशि रू0 750.00 लाख अवशेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत द्वितीय किस्त की धनराशि रू0 250.00 लाख (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. निदेशक, एवं वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।
4. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28/03/2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक, सेण्टर का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050312 सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-85/दस-2026-27 दिनांक 03-09-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-83/2026/I/1462423/2026/001/71-2099-43-2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।